Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-4(A)| April-2026

Original Article

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उच्च शिक्षा पर प्रभाव: चुनौतियाँ और संभावनाएँ

डॉ. रोहित कुमार त्रिवेदी
प्राचार्य वीरायतन बी. एड. कॉलेज, पावापुरी, नालंदा (बिहार)
Gmail- rohittrivedir@gmail.com

Manuscript ID:
JRD -2026-180404
ISSN: 2230-9578
Volume 18
Issue 4(A)
Pp 12-16
April- 2026
Submitted: 18 Mar. 2026
Revised: 28 Mar. 2026
Accepted: 12 Apr. 2026
Published: 30 April. 2026

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक एक संपूर्ण ढाँचा है, को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा *29* जुलाई, *2020* को अपनाया गया। नई रणनीति का उद्देश्य *2030* तक प्री-स्कूल से माध्यमिक विद्यालय तक सार्वभौमिक शिक्षा प्राप्त करना है, जिसमें स्कूली शिक्षा में *100%* सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) और *2025* तक उच्च शिक्षा में *50%* जीईआर शामिल है। शिक्षा समुदाय को एनईपी *2020* के कार्यान्वयन में कई संभावनाओं और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। यह पत्र, "राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उच्च शिक्षा पर प्रभाव: अवसर और चुनौतियाँ", भारत की शिक्षा प्रणाली के इतिहास का पता लगाने, उच्च शिक्षा के संबंध में एनईपी की समीक्षा करने, शिक्षकों पर एनईपी के प्रभाव का विश्लेषण करने, एनईपी के कार्यान्वयन में अवसरों और चुनौतियों को व्यक्त करने के साथ-साथ एनईपी के आगे के मार्ग का वर्णन करने का प्रयास करता है।
इस पेपर में *NEP* के इन सुधारों का विश्लेषण करते हुए वर्तमान उपलब्धियों, चुनौतियों (जैसे वित्तीय सीमाएँ, बुनियादी ढांचा, डिजिटल विभाजन, संकाय समस्या, वैश्वीकरण की धीमी प्रगति आदि) और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई है। अंततः निष्कर्ष यह है कि *NEP 2020* ने स्पष्ट रूप से भविष्य की उच्च शिक्षा की दिशा तय की है, लेकिन उसकी पूर्ण सफलता दीर्घकालीन प्रयास, संसाधनों और समन्वित क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।

कीवर्ड: राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा, चुनौतियाँ

प्रस्तावना (Introduction)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक नई योजना है जिसका लक्ष्य भारतीय शिक्षा में मौजूद चुनौतियों को हल करना है। 29 जुलाई 2020 को, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को मंज़ूरी दी, जो देश की भविष्य की शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य निर्धारित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है. यह एक भारत-केंद्रित शिक्षा प्रणाली है जो भारत को एक समान और ज्ञान-आधारित समाज के रूप में स्थायी रूप से विकसित करने में प्रत्यक्ष योगदान देती है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उत्तराधिकारी यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अगुवाई वाली एक समिति ने यह नई नीति बनाई है। कस्तूरीरंगन समिति पिछले छह वर्षों से इस नीति पर काम करने वाली दूसरी समिति है। भारत की शिक्षा नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) ने बहुत सुधार दिया है। एनईपी प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक एक व्यापक ढाँचा है, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होता है। एनईपी 2020 ने उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को 2018 के 26.3% से लगभग दोगुना करके 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा है. इसके अलावा, यह देश को विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार और भारत को एक विश्वविद्यालय महाशक्ति के रूप में विकसित करने का लक्ष्य भी रखता है।

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations ae licensed under the idential terms.

Address for correspondence:
डॉ. रोहित कुमार त्रिवेदी , प्राचार्य वीरायतन बी. एड. कॉलेज, पावापुरी, नालंदा *(बिहार)*

How to cite this article:
त्रिवेदी,. रोहित. कुमार. (2026). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उच्च शिक्षा पर प्रभाव: चुनौतियाँ और संभावनाएँ. Journal of research & development, 18(4(A)), 12–16. https://doi.org/10.5281/zenodo.20374093

Quick Response Code:
Website: https://jrdrvb.org/
DOI: 10.5281/zenodo.20374093
OPEN ACCESS

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-4(A)| April-2026

यह एक अंत:विषय दृष्टिकोण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने, अनुसंधान को बढ़ावा देने, चार वर्षीय स्नातक डिग्री में कई प्रस्थान बिंदु प्रदान करने पर केंद्रित है। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) की स्थापना उच्च शिक्षा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक होगी। HECI एकमात्र नियामक होगा, जो स्वायत्त कार्यक्षेत्र मान्यता, वित्त और शैक्षणिक मानदंडों का विकास करेगा। इन संस्थाओं (एआईसीटीई) अंततः अन्य नियामक निकायों की जगह लेंगे, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (IIT)। भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह नीति "क्या सोचें, इसके बजाय कैसे सोचें" पर केंद्रित है।"

अध्ययन के उद्देश्य

उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के चुनौतियाँ का अध्ययन करना |

उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभाव का आकलन करना |

उच्च शिक्षा के लिए NEP 2020 नीतियों की मुख्य विशेषताएँ:-

नीति में संशोधन:

1. व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात
2018 के 26.3 प्रतिशत से बढ़कर 2035 तक 50% हो जाएगा।
2. सरकार सर्वोत्तम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
3. अच्छी प्रतिष्ठा वाले अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को भारत में परिसर खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
4. उच्च शिक्षा संस्थान बहुविषयक शिक्षा और एक लचीले पाठ्यक्रम ढाँचे पर ज़ोर देंगे जिसमें आजीवन सीखने के अवसरों का विस्तार करने के लिए कई प्रवेश और प्रस्थान बिंदु होंगे।
5. पहुँच समानता और समावेशन को बढ़ाने के साधन के रूप में ऑनलाइन शिक्षा और मुक्त दूरस्थ शिक्षा (ODL) पर अधिक ज़ोर दिया जाएगा।
6. व्यावसायिक शिक्षा को उच्च शिक्षा में एकीकृत किया जाएगा। 2025 तक, कम से कम आधे छात्र व्यावसायिक शिक्षा से परिचित हो चुके होंगे।
7. अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को विश्वव्यापी स्तर तक बढ़ाया जाएगा और विदेशों में अर्जित क्रेडिट को पुरस्कार में शामिल किया जाएगा।

एलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा के सभी छात्रों को आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) की बुनियादी समझ होनी चाहिए, और इसके विपरीत भी। स्वास्थ्य सेवा शिक्षा के सभी रूपों में निवारक स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक चिकित्सा पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। तकनीकी शिक्षा बहु-विषयक शिक्षण संस्थानों में प्रदान की जानी चाहिए और अन्य क्षेत्रों के साथ गहन जुड़ाव के अवसरों पर ज़ोर दिया जाना चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), 3-डी मशीनिंग, बिग डेटा विश्लेषण और मशीन लर्निंग के साथ-साथ आनुवंशिक अध्ययन, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी और तंत्रिका विज्ञान, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सतत जीवन में अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

I. शासकीय निकाय:

1. यूजीसी, एआईसीटीई, एमसीआई, डीसीआई, आईएनसी और अन्य उच्च शिक्षा निगरानी एवं नियंत्रण संस्थानों को भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) के साथ मिलाकर एक एकल उच्च शिक्षा संस्थान नियामक बनाया जाएगा।
2. एनएएसी और एनएबी जैसे वर्तमान मान्यता संस्थानों को एक शक्तिशाली राष्ट्रीय मान्यता परिषद (एनएसी) से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3. एक अकादमिक क्रेडिट बैंक (एबीसी) का गठन किया जाएगा, जो विभिन्न अनुमोदित उच्च शिक्षा संस्थानों (स्वयं और ओडीएल मोड) से प्राप्त सभी पंजीकृत उम्मीदवारों के शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहीत करेगा, जिसे कॉलेज या विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री प्रदान करते समय ध्यान में रखा जाएगा।
4. प्रासंगिक शर्तों को पूरा करने के बाद, वर्तमान में प्रयुक्त कई नामकरण, जैसे विश्वविद्यालय, संबद्ध विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय, एकात्मक विश्वविद्यालय, आदि, को 'विश्वविद्यालय मानदंड' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
5. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल को सुदृढ़ और विस्तृत किया जाएगा ताकि विश्वविद्यालय योग्यता-आधारित छात्रों की वित्तीय आवश्यकताओं में सहायता कर सकें। निजी उच्च शिक्षा संस्थानों को अपने छात्रों को अधिक निःशुल्क छात्रवृत्तियाँ और छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-4(A)| April-2026

II. विश्वविद्यालय स्तर:

1. वर्तमान में विखंडित उच्च शिक्षा संस्थानों का दो प्रकारों में एकीकरण: बहु-विषयक विश्वविद्यालय (MU) और बहु-विषयक स्वायत्त महाविद्यालय (MAC) (AC)।
2. बहु-विषयक विश्वविद्यालय दो प्रकार के होंगे: (1) अनुसंधान-प्रधान विश्वविद्यालय और (2) शिक्षण-प्रधान विश्वविद्यालय।
3. विश्वविद्यालय और कॉलेज अनुसंधान को समर्थन देने के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) की स्थापना।
4. शिक्षा के प्रति एक समग्र और बहु-विषयक दृष्टिकोण के साथ, अनुसंधान को स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में एकीकृत किया जाएगा।
5. सभी उच्च शिक्षा संस्थान (1) स्टार्ट-अप इनक्यूबेशन केंद्र, (2) प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, (3) अनुसंधान के अग्रणी क्षेत्रों में केंद्र, (4) उद्योग-शैक्षणिक संपर्क केंद्र, और (5) अंत:विषय अनुसंधान केंद्र स्थापित करके अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें मानविकी और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान शामिल हैं।
6. शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए, सभी उच्च शिक्षा संस्थान सक्षम शैक्षणिक और करियर परामर्श केंद्र स्थापित करेंगे, जिनमें सभी छात्रों के लिए परामर्शदाता उपलब्ध होंगे।
7. विज्ञान, गणित, कविता, भाषा, साहित्य, वाद-विवाद, संगीत, खेल और अन्य विषयों के क्षेत्रों में, सभी उच्च शिक्षा संस्थान आवश्यकतानुसार शिक्षकों और अन्य पेशेवरों के सहयोग से छात्रों द्वारा आयोजित विषय-केंद्रित क्लब और गतिविधियों का गठन, प्रायोजन और वित्तपोषण करेंगे।
8. उत्कृष्टता के वैश्विक स्तर को प्राप्त करने के लिए, डिग्री कार्यक्रमों में 40:30:30 अनुपात मॉडल में कक्षा-आधारित शिक्षण, ऑनलाइन शिक्षण घटक और ODL घटक शामिल हो सकते हैं। 9. अपनी मान्यता स्थिति के आधार पर, सभी निजी विश्वविद्यालय श्रेणीबद्ध स्वायत्तता के लिए योग्य हैं।
10. सभी निजी विश्वविद्यालयों और स्वायत्त संस्थानों को अपने वित्तीय कार्यों में पारदर्शी होना चाहिए, और लेखा प्रणाली में किसी भी असामान्यता के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उत्तरदायी है। उच्च शिक्षा संस्थानों के तीव्र विकास का नेतृत्व करने के लिए, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जो अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हों।
11. कानूनी शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों/संस्थानों को भावी वकीलों और न्यायाधीशों के लिए अंग्रेजी और राज्य भाषा में द्विभाषी शिक्षा प्रदान करना चाहिए।

III. संस्थान स्तर:

1. बहु-विषयक दृष्टिकोण: स्वायत्त महाविद्यालयों के परिसर में 3,000 से अधिक विद्यार्थी होंगे। 2030 तक, विद्यालय बहु-विषयक हो जाएगा, और 2040 तक, इसमें 3,000 या उससे अधिक विद्यार्थी होंगे।
2. प्रत्येक मौजूदा महाविद्यालय या तो डिग्री प्रदान करने वाले स्वायत्त महाविद्यालय के रूप में विकसित होगा
या विश्वविद्यालय के एक घटक महाविद्यालय के रूप में, जो विश्वविद्यालय में पूरी तरह से एकीकृत हो जाएगा।
3. निर्धारित मान्यता स्तर में सुधार और उसे प्राप्त करके, सभी मौजूदा संबद्ध महाविद्यालय अंततः संबद्ध विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन समर्थन के साथ स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालयों में विकसित होंगे।
4. कई निकास संभावनाओं के साथ चार वर्षीय स्नातक की डिग्री, स्नातक की डिग्री में बिताए गए वर्षों की संख्या के आधार पर एक से दो वर्षीय मास्टर डिग्री, जैसे कि चार या तीन, और शोध के साथ चार वर्षीय स्नातक की डिग्री के लिए पीएचडी करने का विकल्प, ये सभी संभव हैं।
5. दूसरे वर्ष में पूर्ण शोध के साथ दो वर्षीय मास्टर डिग्री, चार वर्षीय स्नातक डिग्री धारकों के लिए एक वर्षीय मास्टर डिग्री, और पाँच वर्षीय संयुक्त स्नातक/मास्टर डिग्री।
6. उच्च शिक्षा संस्थानों को ऐसे कार्यक्रम प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान शिक्षा को मिलाएँ ताकि दोनों क्षेत्रों में पेशेवर तैयार किए जा सकें। कृषि शिक्षा संस्थानों को स्थानीय समुदाय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और प्रौद्योगिकी ऊष्मायन और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में कृषि प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना में भाग लेना चाहिए।
7. सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को अपनी शुल्क संरचना निर्धारित करने की स्वायत्तता है, और किसी भी अधिशेष राशि को पारदर्शी लेखा प्रणाली के माध्यम से विस्तार परियोजनाओं में पुनर्निवेशित किया जाएगा।
8. किसी विशेष शैक्षणिक वर्ष में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक पाठ्यक्रम में, सभी निजी उच्च शिक्षा संस्थानों को मेधावी छात्रों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क में 20 प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा और 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान करनी चाहिए, और इसका मूल्यांकन और अनुमोदन मान्यता प्रक्रिया द्वारा किया जाना चाहिए।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-4(A)| April-2026

IV. छात्र स्तर:

1. शिक्षक-केंद्रित मॉडल के बजाय छात्र-केंद्रित शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया।
2. एक नवीन और अनुकूलनीय योग्यता-आधारित क्रेडिट प्रणाली, विकल्प-आधारित क्रेडिट प्रणाली का स्थान लेगी।
3. परीक्षा प्रणाली उच्च-दांव वाली परीक्षाओं (सेमेस्टर अंत प्रणाली) से हटकर एक अधिक सतत और गहन मूल्यांकन प्रणाली की ओर अग्रसर होगी।
4. संचार, प्रस्तुति, चर्चा, वाद-विवाद, शोध, विश्लेषण और अंतःविषय चिंतन उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षणशास्त्र का केंद्र होंगे।

एनईपी 2020 की कुछ चुनौतियाँ

1. **वित्त पोषण संबंधी चिंताएँ:** यह नीति शिक्षा में सार्वजनिक निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक अनुशंसा को दोहराती है। हालाँकि, इस लक्ष्य को प्राप्त करना दशकों से एक सतत चुनौती रहा है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस रोडमैप या तत्काल वित्तीय प्रतिबद्धता प्रदान नहीं करती है। पर्याप्त वित्त पोषण के बिना, प्रस्तावित कई सुधार केवल कागज़ों तक ही सीमित रह जाएँगे।
2. **त्रि-भाषा सूत्र:** नई शिक्षा नीति स्कूलों में तीन भाषाओं का प्रस्ताव करती है, जिनमें से कम से कम दो भारतीय हों। लेकिन कई राज्यों में इस प्रावधान का राजनीतिकरण किया गया है, उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में, जहाँ तमिल-अंग्रेजी मॉडल अपनाया जाता है, इसे हिंदी भाषा थोपने के प्रयास के रूप में देखा गया है।
3. **शिक्षक शिक्षा में व्यापक बदलाव नहीं हुआ है:** शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जो 2021 में जारी होनी थी, अभी तक जारी नहीं हुई है। एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के तहत 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. पाठ्यक्रम की घोषणा की गई है, लेकिन बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन जैसे मौजूदा कार्यक्रम चलाने वाले कॉलेज इसमें देरी कर रहे हैं।
4. **प्रौद्योगिकी तक पहुँच:** हालाँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रौद्योगिकी एकीकरण और ऑनलाइन शिक्षा पर ज़ोर देती है, फिर भी भारत में मौजूदा डिजिटल विभाजन (विशेषकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच, और सामाजिक-आर्थिक स्तरों के बीच) एक बड़ी बाधा बना हुआ है। कई छात्रों और शिक्षकों के पास विश्वसनीय इंटरनेट, उपकरणों और डिजिटल साक्षरता तक पहुँच का अभाव है। **डिजिटल विभाजन भारत में शिक्षा के क्षेत्र में भी विभाजन का कारण बन रहा है**। आज, 90 प्रतिशत से ज़्यादा छात्रों के पास ऐसे उपकरण नहीं हैं जो उन्हें समग्र रूप से ऑनलाइन शिक्षा तक पहुँचने में सक्षम बनाएँ।
5. **बढ़ता निजीकरण:** आलोचकों का तर्क है कि यह नीति सार्वजनिक निवेश की वकालत करते हुए निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए भी दरवाजे खोलती है, जिससे संभवतः शिक्षा का व्यावसायीकरण हो सकता है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा गरीबों के लिए कम सुलभ हो सकती है।
6. **अति-केंद्रीकरण (केंद्र बनाम राज्य):** यद्यपि एकल व्यापक नियामक (HECI) का विचार सुव्यवस्थित करने का लक्ष्य रखता है, कुछ आलोचक संभावित अति-केंद्रीकरण और संस्थानों की स्वायत्तता में कमी को लेकर चिंतित हैं। यह नीति केंद्र सरकार में शक्तियों का केंद्रीकरण करती है, जिससे राज्यों की स्वायत्तता और स्थानीय शैक्षिक आवश्यकताओं और संदर्भों को संबोधित करने के लचीलेपन में संभावित रूप से कमी आती है। कई विपक्षी शासित राज्यों ने NEP के प्रमुख प्रावधानों का विरोध किया है, उदाहरण के लिए केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने NEP को पूरी तरह से अपनाने की आवश्यकता वाले प्रावधानों का हवाला देते हुए PM-SHRI स्कूल स्थापित करने के लिए केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है।

नई शिक्षा नीति का प्रभाव:

निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है:

1. बड़े पैमाने पर एकीकरण से गुणवत्तापूर्ण संस्थानों और कॉलेजों को लाभ होगा: संस्थागत सुधार और एकीकरण के परिणामस्वरूप देश में उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्य लगभग एक तिहाई कम हो जाएगा। हालाँकि, नीति 3000+ नामांकन वाले उच्च शिक्षा संस्थानों को विकसित करने की आकांक्षा रखती है, भारत में प्रति कॉलेज औसत नामांकन वर्तमान में 693 है (AISHE 18-19, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, KPMG इन इंडिया एनालिसिस)। उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए, यह नई नीति स्वतंत्र कॉलेजों की संख्या बढ़ाने पर केंद्रित है। भारत में लगभग 40,000 कॉलेजों में से केवल लगभग 1000 स्वतंत्र कॉलेज हैं। यह दर्शाता है कि नीति की सीमाओं के बावजूद, भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में कई एकीकरण और सहयोग होंगे। उपरोक्त रणनीति का उद्देश्य भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या को 15,000 से बढ़ाकर 50,000 करना है।
2. बहु-विषयक शिक्षा पर ज़ोर: आईआईटी, आईआईएम और एआईआईएम जैसे एकल-विषयक उत्कृष्टता के द्वीप भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली की विशेषता हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों (एमईआरयू) के रूप में जाने जाने

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-4(A)| April-2026

वाले बड़े बहु-विषयक विश्वविद्यालयों की स्थापना को बढ़ावा देकर अंत:विषय शिक्षा पर ज़ोर देती है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे हैं। एमईआरयू देश के सभी ज़िलों और दूर-दराज के क्षेत्रों को कवर करते हुए, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे। इससे छात्रों को अपनी रुचि के क्षेत्र चुनने में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी।

3. संकाय की कमी और संकाय की गुणवत्ता बढ़ाने की आवश्यकता: हमारे देश का मौजूदा संकाय-छात्र अनुपात, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बाद 1:30 है, को सुधार कर 1:20 किया जाना चाहिए, जिसे एक स्वस्थ अनुपात माना जाता है। इस बदलाव के परिणामस्वरूप कम से कम 500000 नए शैक्षणिक सदस्यों की नियुक्ति होगी। संकाय की कमी को दूर करने के साथ-साथ, संकाय की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। 2022 तक, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनपीएसटी) का एक सेट स्थापित किया जाएगा, जो शिक्षक करियर प्रबंधन के सभी क्षेत्रों को नियंत्रित करेगा, जिसमें कार्यकाल, सतत व्यावसायिक विकास, वेतन, पदोन्नति और अन्य पुरस्कार शामिल हैं। रणनीति में शिक्षकों के लिए प्रदर्शन मानक निर्धारित करने का भी उल्लेख है, जो अनुभव और कौशल के विभिन्न स्तरों पर शिक्षक के कार्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। 4. उत्प्रेरित अनुसंधान गतिविधियाँ: एनईपी द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) से गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान पर समर्पित ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है, जिसमें अनुसंधान गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए एक अधिक लक्षित दृष्टिकोण अपनाने के लिए अनुसंधान व्यय को कम करना और वित्तपोषण प्रक्रियाओं की दक्षता में वृद्धि करना शामिल है।

छात्रों को कम उम्र से ही अनुसंधान गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

5. मुक्त दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) और ऑनलाइन कार्यक्रम पहुँच और समानता में सुधार करते हैं: लगभग 40 लाख छात्र, या भारत में सभी उच्च शिक्षा छात्रों का 11%, ओडीएल के माध्यम से नामांकित हैं। महामारी का मुद्दा ओडीएल प्रणाली के सुधार में भी योगदान देता है, जिसमें आने वाले वर्षों में बड़ी वृद्धि देखने को मिलने की उम्मीद है, जिससे भारत का सकल नामांकन दोगुना हो जाएगा।

5. निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है। इसका उद्देश्य भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना, अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहन देना, बहु-विषयक दृष्टिकोण को अपनाना और छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। इस नीति से अपेक्षा की जाती है कि यह न केवल ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करेगी, बल्कि युवाओं को रोजगारोन्मुखी और भविष्य के लिए तैयार भी करेगी। हालाँकि, इसके सफल क्रियान्वयन के लिए कई चुनौतियों का समाधान आवश्यक है—जैसे कि पर्याप्त वित्तीय निवेश, उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षक प्रशिक्षण, ग्रामीण-शहरी असमानता को कम करना, तकनीकी अवसंरचना को मजबूत करना तथा सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। यदि ये कदम समयबद्ध तरीके से उठाए गए, तो NEP 2020 आगामी 10–15 वर्षों में भारतीय उच्च शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक, समावेशी और गुणात्मक ढंग से स्थापित कर सकता है।

संदर्भ –

- https://www.researchgate.net/publication/343769198_Analysis_of_the_Indian_National_Education_Policy_2020_towards_Achieving_its_Objectives
- https://www.researchgate.net/publication/346654722_Impact_of_New_Education_Policy_2020_on_Higher_Education
- https://www.education.gov.in
- PDF National 3. Education Policy 2020 - Ministry of Education Government of India https://www.google.com/amp/s/www.hindustantimes.com/education/new-
- educationpolicy-2020-highlights-key-takeaways-of-nep-to-make-india-a-global-knowledgesuperpower/.html 6.
- https://niepid.nic.in ›
- nep_2020PDF, National Education Policy 2020 – NIEPID
- https://assets.kpmg › 2020/08PDF:Impact of National Education Policy 2020 and opportunities for Higher Education.kpmg
- https://www.ugc.ac.in › 5294...PDF Salient Features of NEP 2020: Higher Education 9. https://www.ijcrt.org/papers/IJCRT2105200.pdf
- Key Impacts of NEP 2020 on Higher Education; challenges and future outlook
- Highlights and Opportunities – British Council